फर्द अहकाम

ललिता देवी बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्रः /2025 535/25

ा	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.06.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम बदनपुरा, पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया, भू.अभि.नि.क्षे. शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 85 के खसरा नम्बर 512/313, 517/314 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1100 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांकः भू0अ0/सीमा/25/4934–37 दिनांक 11.06.2025 की पालना में दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष जरीब चलाकर ख0सं0 512/313, 517/314 की सीमाये कायम कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.6.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम बदनपुरा, पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया, भू.अभि.नि.क्षे. शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 85 के खसरा नम्बर 512/313, 517/314 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1100 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 16.06.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)